

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

पुषालाळ वनाम मुन्नीधर (कौश)

किस्म मुकदमा वाद पत्र 88, 89 नं० 29 सन 2022

क्रमांक	हुकम या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------	----------------------------------	--

5.22 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 7.6.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

1. 6.22 पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित, प्रतिवादी सं. 1 लगायत 03 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 03 के विरुद्ध आग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 10.6.22 को पेश हो।

11/6/22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 लगायत उच्चम उपस्थित। वादीगण के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत उच्चम मुन्नीधर मह अधिवक्ता के न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश किया। प्रस्तुत राजीनामे में अंकित तथ्यों में गोपाल लाल शर्मा को पुनः पकड़ लुगाया गया जिसे सही होना उद्योगी शर्मा स्वीकार करते हुए अपनी स्वीकारोक्ति के हस्ताक्षर किए। प्रतिवादी सं. 1 से उनके द्वारा अपने राजीनामा में अंकित किया कि ग्राम मांडल की आपने

10/06/22

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा



रीख  
यम

दुम या कार्यवाही पर इतिवृत्त का

पिता रामचन्द्र भट्ट (ब्राह्मण) के नाम संयुक्त  
लातेदारी से दर्ज थी/इस प्रकार चाहे में वादीगण  
का भी संयुक्त हक हिस्सा निहीत है परन्तु हाल  
लियाई में अकेले प्रतिवादीगण के नाम पर  
बिना किसी सक्षम शायक के दर्ज हो गया जो  
दुन्दस्ती योग्य पाया जाने से उत्तु राजीनामा  
स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर  
वादीगण का वाद डिकी किया जाता है। अतः  
वादीगण का वाद इस आधार का डिकी किया  
जाता है कि ग्राम मांडलकी कांन् ४४०३  
किस्म गेमुं चाहे रकबा ०.०५०६ हेक्टर का  
वादी सं० प्रधालाल को ५५ हिस्से का, वादी सं०  
२ से लगायत ४ क्रमशः उर्मिला पुत्री मोहनलाल,  
मंजूदेवी पुत्री मोहनलाल, विष्णु प्रसाद पिता  
मोहनलाल, चंदा पुत्री मोहनलाल, शंभू प्रसाद  
पिता मोहनलाल, मनीष पिता मोहनलाल व  
लाड पुत्री मोहनलाल भट्ट ब्राह्मण निन्दकहरा  
चौख मांडलको ५५ हिस्से का, वादी संख्या ७ से  
लगायत १५ क्रमशः मधुदेवी पालने पहलादभट्ट,  
मीरा पुत्री पहलादभट्ट, आशीष पिता पहलाद  
भट्ट, निकिता पुत्री पहलादभट्ट, बनवारी  
पिता कृष्णचन्द भट्ट, गोविन्द पिता कृष्णचन्द  
भट्ट निवासिग्राम मांडलको ५५ हिस्से का तथा  
प्रतिवादी सं० १ लगायत ३ क्रमशः मुखलीधर पिता  
भंवरलाल भट्ट, मनोहरलाल पिता भंवरलाल भट्ट,  
ज्योतिदेवी पुत्री भंवरलाल भट्ट निवासिग्राम मांडल  
को ५५ हिस्से का लातेदारी कारतकार घोषित कर  
राजस्व लियाई में इन्फ्रज दुन्दस्त किया जावे पिचा  
डिकी करी हो। आदेश लिवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

( आ० 20 नियम 6 / जा०दी० )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान  
वर्द्धजलास श्री डा० प्रजा रावसेना ( आ०ए०एस० )

व ता  
म जो  
की ता  
गारी

अनवान प्रकरण

1. श्री पुषालाल ज० श्री रामचन्द्र भट्ट निवासी-नई नगरी माण्डल तहसील-माण्डल
2. श्रीमती उर्मिला ड० श्री मोहनलाल भट्ट निवासी-दशहरा चौक माण्डल तहसील-माण्डल
3. श्रीमती मधु देवी ड० श्री मोहनलाल भट्ट
4. श्री विष्णु प्रसाद ज० श्री मोहनलाल भट्ट
5. श्रीमती चंदा ड० श्री मोहनलाल भट्ट
6. श्री शम्भु प्रसाद ज० श्री मोहनलाल भट्ट
7. श्रीमती लाड ड० श्री मोहनलाल भट्ट
8. श्री मनीष ज० श्री मोहनलाल भट्ट
9. श्रीमती मधु देवी ड० श्री प्रह्लाद भट्ट खिवासी-नई नगरी माण्डल तहसील-माण्डल
10. श्रीमती मीरा ड० श्री प्रह्लाद भट्ट
11. श्री आशीष ज० श्री प्रह्लाद भट्ट
12. श्रीमती निदिता ड० श्री प्रह्लाद भट्ट
13. श्री बनवारी ज० श्री कृष्णचन्द्र भट्ट खिवासी-दशहरा चौक माण्डल तहसील-माण्डल
14. श्री गोविन्द ज० श्री कृष्णचन्द्र भट्ट खिवासी-लीलकेट कीलोकी माण्डल तहसील-माण्डल

बनाम


1. श्री मुखीधर ज० भंवरलाल भट्ट निवासी-नई नगरी माण्डल तहसील-माण्डल
  2. श्री मनोहरलाल ज० भंवरलाल भट्ट निवासी
  3. श्रीमती ज्योति देवी ड० श्री भंवरलाल भट्ट निवासी
- राजस्थान राज्य जरिद तहसीलदार साण्डल तहसील-माण्डल प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 मुकदमा नं०/वर्ष 29/22 निर्णय दिनांक 10.6.22

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरुप अदालत व हिजरी वकील वादी भिनजानिव मुददई व श्री एकलिंग प्रसाद व्यास अदालतलाभिव मुदाबला पेश होकर हुक्म

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः वादीगण का वाद पत्र आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम माण्डल परिवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में स्थित आराजी नं० 8803 क्विन्ट गैमुण्ड-चाह खेबा 0.0506 हेक्टेयर का वादी सं० 1 पुषालाल को 1/4 हिस्से का, वादी सं० 2 लगायत 8 कुमरा उर्मिला, मधु देवी, विष्णु प्रसाद, चंदा, शम्भु प्रसाद, मनीष व लाड पिता मोहनलाल भट्ट ब्राह्मण नि० दशहरा चौक माण्डल को 1/4 हिस्से का, वादी सं० 9 लगायत 14 कुमरा मधु देवी पत्नी प्रह्लाद भट्ट, मीरा पुत्री प्रह्लाद भट्ट, आशीष पिता प्रह्लाद भट्ट, निदिता पुत्री प्रह्लाद भट्ट, बनवारी पिता कृष्णचन्द्र भट्ट, गोविन्द पिता कृष्णचन्द्र भट्ट ब्राह्मण निवासियान माण्डल को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 कुमरा मुखीधर पिता भंवरलाल भट्ट, मनोहरलाल पिता भंवरलाल भट्ट, ज्योति देवी पुत्री भंवरलाल भट्ट निवासियान

आज तारीख 10.6.22 को नरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
 माण्डल जिला भीलवाड़ा

